

मुकदमा अन्तर्गत धारा

251(A) RTA

235/18

20


7 B 45

मुकदमा नम्बरी वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
----------------	-----------------------------------	--

30/5/18

यह प्रा. पत्र वादीगण की ओर से श्री सुखदेव सिंह s/o गुलजार सिंह
रुडवेकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है।
वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिरे सम्मन तलब किया
जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 8/6/18 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

08.06.2018 प्रार्थी उपस्थित नहीं प्रार्थी को आवाज लगवाई गई परन्तु प्रार्थी उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा चक 7 बी के खाता संख्या 130/120 खसरा नम्बर 85 में 2.060 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन विश्रामगृह के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

उक्त विश्रामगृह के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व 16-1/2 फुट रास्ता करीबन 3 बीघा लम्बा अर्सा दाराज से चालू है श्मशान भूमि को जानें के लिये उक्त सुविधाजनक है और यही से गांव के लोग शव का अन्तिम संस्कार करने जाते है।

अतः विश्रामगृह के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व 16-1/2 फुट करा रास्ता करीबन 3 बीघा लम्बा स्वीकृत किये जानें हेतु निवेदन किये जानें पर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि में से रास्ता चाहा गया है ना तो उस भूमि की वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत की है तथा ना ही जिस खातेदार की भूमि में से रास्ते की मांग की गई है उसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण स्वीकार किया जाना न्योचित नहीं पाये जानें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोनी में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पदेन सहायक कलेक्टर

श्रीगंगानगर